संख्या 30/2017/2015/सत्रह-म-2017-6-9-(333)/2016 टी0सी0-।।

प्रेषक

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक:17 नवम्बर, 2017

विषय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में नवीन योजना के रूप में स्वीकृत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश की वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वैध किये जाने के फलस्वरूप तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 396.32957 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 674/नि0शा0, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत् वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध किये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना की विभिन्न मदों हेतु तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0396.32957 लाख (तीन करोड छियान्नबे लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तावन मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या –एफ0न0-जे0-18001/1/2017-एफवाई दिनांक 15-05-2017 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना की गाइड लाइन्स में पत्र संख्या- 27035-3/2017-एफवाई(आईवी) दिनांक 24 जुलाई,2017 द्वारा संशोधन करते हुए वृहद फीड मिल की न्यूनतम क्षमता 10 टन प्रतिदिन एवं अधिक कर दी गयी है और उक्त संशोधित गाइड लाइन्स दिनांक 24-07-2017 के अनुसार न्यूनतम क्षमता10 टन प्रतिदिन एवं अधिक पर वृहद फीड मिल की स्थापना किये जाने पर पत्र संख्या- एफ0नं0- 31013/06/2016-एफवाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) दिनांक 23 अक्टूबर,2017 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

4- अत: संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वैध कर दिये जाने के दृष्टिगत ब्लू रिवोल्यूशन योजना की निम्नलिखित उपयोजनाओं /मदों हेतु वर्ष 2017-18 में पुनर्वैध अप्रयुक्त /अवशेष केन्द्रांश के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 396.32957 लाख (तीन करोड छियान्नबे लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तावन मात्र) जिसमें रू0 259.65638 लाख केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश रू0 136.67319 लाख की धनराशि सम्मिलित है,को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	लक्ष्य	परियोजना लागत	कुल बजट (केन्द्रांश50 प्रति0+राज्यां 0 25 प्रति0	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा चुकी धनराशि (केन्द्रांश50 प्रति0+ राज्यां0 25 प्रति0)	वर्ष 206-17 में कुल व्यय की गयी धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में लेखानुदान अवधि में अवमुक्त की जा चुकी धनराशि (केन्द्रांश50 प्रति0+राज्यां0 25 प्रति0)	तृतीय किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि (केन्द्रांश 50 प्रति0+राज्यां0 25 प्रति0)	जनपदवार विवरण एवं संलग्नक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नये तालाबों का निर्माण	22 (हे0)	154.0	115.50	52.48	48.1800	60.53175	6.78825	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या- /674नि /0शा0 दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा संलग्नक के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार ।
2	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट	347 (हे0)	520.5	390.375	177.32	159.819790	68.46894	160.81132 (योग= 2क+2ख)	
2क	नये तालाबों में निवेश	22 (हे0)	-	-	11.22	10.30000	4.00000	10.4500	
2ख	सुधारे गये तालाबों में निवेश	325 (हे0)	-	-	166.10	149.774740	64.46894	150.361320	
3	तालाब सुधार	325 (हे0)	1137.5	853.125	387.6	348.570480	491.00764	11.46000	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in

4	प्रशासनिक व्यय	-	47.38	47.38 (केन्द्रांश 50 प्रति0 +राज्यां0 50 प्रति0)	21.52	0.000000	20.00000	27.38	मत्स्य निदेशालय स्तर से किया जायेगा । (केन्द्रांश 50 प्रति0 +राज्यां0 50 प्रति0)
5	वृहद फिड मिल	01 संख्या	200.00	150.00	0.00	0.000000	0.000	150.00	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या-/674नि/0शा0 दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा संलग्नक के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार ।
6	सोलर पावर एक्वाकल्चर	09 संख्या	135.0	101.25	46	5.110000	0.000	39.89	
							योग -	396.32957	

(रू0 तीन करोड छियान्नबे लाख बत्तीस हजार नौ सौ सत्तावन मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग- निर्देश /गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों एवं वृहद फीड मिल की स्थापना के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या- 27035-3/2017-एफवाई(आईवी) दिनांक 24 जुलाई, 2017 के माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड एण्ड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज योजना के सम्बंध में प्रसारित संशोधित गाइड लाइन्स में दिये गये दिशा-निर्देशों का **अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0 /डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बंध में सामग्री/ उपकरण क्रय विषयक संगत शासनदेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक सुनिश्चित करते हुए समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना / कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना /स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय । इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर - 12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9)जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्वमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- संयुक्त निदेशक मत्स्य के पत्र संख्या'- 674/ नि0शा0 / दिनांक 07 नवम्बर, 2017 में उल्लिखित विवरणानुसार **जनपद- भदोही में तालाब सुधार मद के 01 लाभार्थी, जनपद- मुरादाबाद में तालाब सुधार एवं निवेश मदों के 01 लाभार्थी तथा जनपद- शामली में तालाब सुधार एवं निवेश मदों के 01 लाभार्थी को वर्ष 2016-17 में आवंटित् धनराशि का कोषवाणी से व्यय /आहरित होने का मिलान करने एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही सम्बंधित जनपदों को आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय सम्बंधित जनपद द्वारा किया जायेगा। किसी प्रकार की अनियमितता होने पर सम्बंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें ।**

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक – 2405-मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन–01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0102- ब्लू रिवोल्यूशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (राज्यांश) 20- सहायता अनुदान –सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2017/बी- 1-348/ दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी- 1-1190/ दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत् किये जा रहे है।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या: 30/2017/2015(1)/सत्रह-म-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सुचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ **द्वितीय** उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा- परीक्षा) प्रथम/ **द्वितीय** उ0प्र0, इलाहाबाद
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य) मत्स्य, निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 / नियोजन अनु0-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।